न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2024
(GCMS 2024/15)(212434764544338)

अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह निवासी वार्ड नं. 14, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अभिमन्यु सिंह स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. Why no action is taken upon Religious institutions (Gurudawara, Temples, Mosques) under Indian Noise Pollution Act. 2000. Which are using loudspeakers early morning? Like Kalgidhar Gurudwara near Bizali Board.
2. If they have any written permission on usage of loudspeakers please provide it.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक रीडर/24/118 दिनांक 05.03.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी अभिमन्यु सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, जो प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। सूचना आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested